न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः—जीसीएमएस नं. 2022/572

1. नरेश कुमार यादव पुत्र स्व. श्री छाजूराम यादव, निवासी ग्राम कूनेड़ वार्ड नम्बर 10 तहसील पावटा जिला जयपुर, राजस्थान।

——अपीलान्ट

बनाम

1. गोपाल पुत्र दुर्गाप्रसाद जाति अहीर, निवासी कूनेड़, तहसील पावटा जिला जयपुर, राजस्थान।

——मुख्य रेस्पोडेन्ट

2. बिरजू पुत्र हरिराम,
3. महेश पुत्र हरिराम,
4. राधेश्याम पुत्र रामरतन,
5. विमला देवी पत्नी हरिराम, समस्त जाति अहीर, निवासी ग्राम कूनेड़ तहसील पावटा जिला जयपुर, राजस्थान।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील पावटा, जिला जयपुर।

——तरतीबी रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः—

1. श्री कमलेश शर्मा, एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से
2. श्री विजयसिंह राठौड़ एडवोकेट, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 की ओर से

निर्णय

दिनांकः 03.07.2023

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.09.2022 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अपीलान्ट अपीलाधीन आराजी खसरा नम्बर 239 रकबा 0.70 हैक्टयर के पूर्वी सीमा पर स्थित आराजी खसरा नम्बर 237 रकबा 0.18 हैक्टयर व खसरा नम्बर 238 रकबा 0.45 हैक्टयर का सहखातेदार काश्तकार है जिसको प्रकरण में बिना फरीकेन पक्षकार मुकदमा बनाये ही उक्त अपीलाधीन निर्णय सादिर किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि खसरा नम्बर 329/2487 रकबा 0.050 हैक्टयर व खसरा नम्बर 242/2488 रकबा 0.050 हैक्टयर जो कि अपीलाधीन कृषि भूमि खसरा नम्बर 239 के पूर्वी दिशा में स्थित है जो रास्ते के उपयोग में काम आ रही है का, अपीलान्ट सहखातेदार काश्तकार की हैसियत से राजस्व रिकार्ड में दर्ज व अंकित है उक्त तथ्यों को अधीनस्थ न्यायालय ने बिना समझे व बिना अपना न्यायिक विवेक लगाये ही उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.09.2022 पारित किया है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट सख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्थरगढी हेतु प्रस्तुत किया है जिसे खसरा नम्बर 239 रकबा 0.70 हैक्टयर की मौके की वास्तविक स्थिति हेतु तहसीलदार से रिपोर्ट तलब की जानी चाहिये थी लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना तहसीलदार की रिपोर्ट के अपीलाधीन निर्णय केवल मात्र तरतीबी रेस्पोडेन्ट की अनापत्ति मात्र को आधार मानकर पारित किया है, जो विधि के निहित बिन्दुओं के विपरित जाकर पारित किया गया है, जो गलत होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट ने अपीलाधीन आदेश में अराजी का दिनांक 17.06.2022 को सीमाज्ञान होना अंकित किया है जबकि वास्तविक तथ्य यह है कि सीमाज्ञान बाबत अपीलान्ट को कोई सूचना नही दी गई और ना ही सीमाज्ञान विधि अनुरूप किया गया है, ना ही अपीलान्ट के कोई हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी ही मौजूद है, तथा रेस्पोडेन्ट स्वयं ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि विपक्षीगण द्वारा आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद व झगड़ा फसाद कर कब्जा करने पर आमादा है जो असत्य व मिथ्या कथनों पर दर्ज किये है। अपीलान्ट को उसके कब्जे की भूमि से पत्थरगढ़ी की आड़ में कानूनन बेदखल नही किया जा सकता। रेस्पोडेन्ट अप्रत्यक्ष रूप से अपीलान्ट को बेदखल करना चाहते है जिस तथ्य को अधीनस्थ न्यायालय ने नही समझकर अपीलाधीन आदेश पारित किया जो गलत है। उन्हाने आगे कथन किया है कि विधि का यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि पत्थरगढ़ी प्रार्थना पत्र में पत्थरगढ़ी किये जो वाले खसरा नम्बर के चारों दिशाओं के पडौसी खातेदारों को पक्षकार बनाया जाना कानूनन मेन्डेटरी प्रावधान है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों को समझ बिना ही व बिना अपने न्यायिक विवेक का इस्तेमाल किये ही अपीलाधीन निर्णय मात्र रेस्पोडेन्ट को लाभ प्रदत्त करने के उद्देश्य से पारित किया है जो प्रथम दृष्टया ही निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.09.2022 को निरस्त किया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 की आराजी खसरा नम्बर 239/0.70 वाके ग्राम मौजा कुनेड तहसील पावटा से लगती अन्य भूमि के खातेदार काश्तकार आये दिन ताकत के बल पर रेस्पोडेन्ट की उक्त आराजी की डोल तोड़ देते है तथा फसल नष्ट कर देते है तथा रेस्पोडेन्ट की आराजी को अपनी आराजी में मिलाने प्रयाशरत रहते है तथा अपीलान्ट समझाने पर भी नही मानते है इसलिये रेस्पोडेन्ट को अपनी आराजी का सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी करवाना लाजमी हुआ जिस पर रेस्पोडेन्ट की आराजी का सीमाज्ञान दिनांक 17.06.2022 को किया गया है तथा रेस्पोडेन्ट ने अपनी उक्त आराजी भूमि की पत्थरगढ़ी करने हेतु तहसीलदार पावटा को कहा तो तहसीलदार पावटा ने सक्षम न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु कहा जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में पक्षकारान को विधिवत रूप से सुनवाई

संभागीय आयुक्त
जयपुर

का अवसर देने के उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.09.2022 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योक्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली क अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया जिससे जाहिर है कि अपीलान्ट आराजी खसरा नम्बर 239 रकबा 0.70 हैक्टयर के पूर्वी सीमा पर स्थित आराजी खसरा नम्बर 237 व 238 का सहखातेदार काश्तकार है जिसे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार संयोजित नही किया गया है जबकि सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी के प्रकरणों में पड़ौसी खातेदारान को पक्षकार बनाये जाना न्यायिक दृष्टि से न्यायोचित है। ऐसी स्थिति में प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाना उचित होगा।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.09.2022 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा जिला जयपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को एवं प्रकरण में प्रभावित पक्षकारान कों साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करनें का एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर सहमति से किये गये रास्ते को वैसा ही रखा जाकर विधि सम्मत कार्यवाही की जावें।

(अन्तरसिंह नेहरा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 03.07.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

3/7/23

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।